कार्यालय,नगर पालिक निगम,भिलाई

//रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत् ऑफर आमंत्रण सूचना//

क्र0/ लोकवि/जोन–3/न0नि0/ 2021/ 342 भिलाई,दिनांक 13/08/21

नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्र अंतर्गत् सेक्टर–2 स्थित "स्व. राजेश पटेल स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स " परिसर का संचालन, संधारण एवं कोच उपलब्ध कराने के हेतु इच्छुक खेल में रूचि रखने वाले पंजीकृत संस्था/व्यक्ति/एजेंसी से **रूचि की अभिव्यक्ति** अंतर्गत् आफर दर तीन लिफाफा पद्धति से दिनांक **04.09.2021** सांय 5.30 बजे तक आमंत्रित किया जाता है । आमंत्रित किया जाता है ।

एजेंसी आवेदन पत्र के साथ संस्था का रजिस्ट्रेशन, आयकर प्रमाण–पत्र/पेन कार्ड के साथ **रू. 750.00 नगद** जमा कर कार्यालयीन समय में दिनांक **25.08.2021 सांय 5.30** बजे तक नियम/शर्तें की प्रति प्राप्त कर सकते है। उक्त कार्य हेतु ऑफर दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **04.09.2021 सायं 5.30** बजे रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त की जावेगी। लिफाफा **"अ"** में धरोहर राशि के रूप में **रू. 50,000.00** का एफ.डी.आर. (जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई एवं एजेंसी के संयुक्त नाम से देय हो) , नोटरी से जारी **(100/–रू0)** का शपथ पत्र की मूलप्रति, पेन कार्ड/जीएसटी की प्रति, आयकर क्लीयरेंस प्रमाण पत्र, कोच की सहमति की प्रति , सभी दस्तावेज स्व–हस्ताक्षरित तथा धरोहर राशि लिफाफा 'अ' में , लिफाफा 'ब' में दर तथा लिफाफा 'स' में लिफाफा अ एवं ब डालकर कर जोन आयुक्त जोन क्र.3, नगर पालिक निगम भिलाई के नाम पर रजिस्टर्ड /स्पीड पोस्ट डाक से निर्धारित तिथि एवं समय में पहुंचाना होगा। सर्वप्रथम लिफाफा "अ" खोला जायेगा। सभी दस्तावेज निर्धारित शुल्क/धरोहर राशि प्राप्त होने के उपरांत लिफाफा **'ब'** वित्तीय आफर खोला जावेगा। प्राप्त दर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित रहेगा। नियम शर्तें एवं अन्य जानकारी निगम के वेबसाईट **www.bhilainagarnigam.com** एवं संचालनालय की वेबसाईट **www.uad.cg.gov.in** मे देखी जा सकती है।

जोन आयुक्त
जोन–3
नगर पालिक निगम
भिलाई

विषय:– सेक्टर–2 स्थित स्व.राजेश पटेल स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का संचालन कराने बाबत् ।

//नियम एवं शर्ते //

नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा सेक्टर–2 में 3 खेल की सुविधायुक्त स्व. राजेश पटेल स्पोर्टस काम्पलेक्स का निर्माण किया गया है । इस स्पोर्टस काम्पलेक्स में LED फ्लड लाईट की व्यवस्था की गई है। जिससे रात्रीकालिन खेल का आयोजन सुचारू रूप से किया जा सके। इस कार्य पर लगभग राशि रू0 150.0 लाख व्यय की गई है । इस स्पोटर्स काम्पलेक्स में निम्नानुसार सुविधाएँ उपलब्ध है :–

1. स्पोटर्स काम्पलेक्स का कुल क्षेत्रफल –40मी X 150मी.=6000 वर्ग मीटर ।

2. सुरक्षा के लिये चारो तरफ ग्रील/चैनलिंक फेसिंग से घेरा एवं एक भव्य प्रवेश द्वार ।

3. बैठक व्यवस्था के लिए लोहे का दर्शक दीर्घा क्षमता लगभग 1000 दर्शक । इसके नीचे स्टोर के लिये पर्याप्त जगह।

4. फेसिंग के चारो तरफ पेवर ब्लाक जिसमें खडे होकर अथवा अतिरिक्त कुर्सी व्यवस्था कर बैठने की व्यवस्था की जा सकती है ।

5.दर्शक दीर्घा के दोनो तरफ लॉन हेतु पर्याप्त, स्थान जिसका उपयोग योगा इत्यादि के लिये किया जा सकता है ।

6. इसमें निम्न खेल का मैदान है :–

अ. पिकल बॉल मैदान – 01

ब. बेल्जियम निर्मित एस्ट्रोटर्फ मिनी फुटबाल मैदान –01

स. बास्केट बॉल मैदान –02

7. अन्य सुविधायें – कार्यालय भवन , चेजिंग रूम, महिला एवं पुरूष प्रसाधन तथा शेड।

उपरोक्त सुविधाओं से युक्त स्पोर्टस् काम्पलेक्स में स्थानीय खेल प्रेमियों के लिए निर्मित है जिसमें खेल गतिविधियों का संचालन की स्थायी व्यवस्था किया जाना है । जिसके अंतर्गत् यहां उक्त तीनों खेल का अभ्यास/प्रतियोगिता आयोजन किये जाने काम्पलेक्स को 3 वर्ष के अनुबंध पर दिया जाना प्रस्तावित है :–

1. खेल परिसर जैसे है वैसी स्थिति में बनाये रखना हेगा ।

2. समस्त विघुत उपकरण, मैदान पाथवे मुत्रालय, शौचालय मैदान , बैठक व्यवस्था कार्यालय इत्यादि समस्त परिसम्मति का नियमित संधारण किया जाकर यथावत बनाये रखना होगा।

3. पूरे परिसर तथा सामने भाग में सडक तक की साफ–सफाई बनाये रखना होगा ।

4. स्वच्छ भारत अंतर्गत सुखे, गीले कचरा का कन्टेनर पर्याप्त मात्रा में रखना होगा तथा कचरा का वैज्ञानिक विधि से निस्पादन स्टेडियम के पास खुली भूमि पर किया जाना होगा। इससे निर्मित खाद का उपयोग स्वयं किसी भी रूप में कर सकता है या विक्रय कर सकता है।

5. एजेंसी को पर्याप्त चौकीदार एवं अन्य कर्मचारी स्वयं के व्यय से रखना होगा। (जिसके लिये निगम पृथक से कोई भी भुगतान नहीं करेगी) तथा शासन के सभी विभागों के नियमों का पालन करेगा ।

6. यह परिसर किसी भी व्यक्ति, एजेंसी, खेल से संबंधित एजेंसी/ व्यक्ति को दिया जावेगा जिसके पास संबंधित खेलो के राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय ,सन्तोष ट्राफी , डुरन्ड या इसी स्तर के खिलाडी रहा हो/है या राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय कोच , रेफरी की सहमती पत्र हो, जो कोच का कार्य करने इच्छुक हो। इस कार्य के लिये निगम कोई भी राशि व्यय नहीं करेगी । (कोच सक्षम स्तर के लाईसेंस धारक हो, बेचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का प्रमाण पत्र, किसी राष्ट्रीय स्तर के संस्था से कोच का प्रमाण पत्र)

7. इच्छुक एजेंसी को अधिकार होगा कि वह इस स्पोटर्स काम्पलेक्स परिसर में खेल कोचिंग, खेल आयोजन सशुल्क/निःशुल्क कर सकता है। यहां प्रतिबंधित विज्ञापन को छोडकर विज्ञापन कर आय प्राप्त करने स्वतंत्र होगा ।

8. इस कार्य के लिए आवेदन 1.0 लाख रूपए का सुरक्षित राशि एफडीआर के रूप जमा करेगी जो सफलता पूर्व कार्य सम्पादन उपरांत वापसी योग्य होगा।

9. स्पोटर्स काम्पलेक्स परिसर में प्रातः–शाम 2–2 घंटा स्थानीय नागरिकों/खिलाडियों को निःशुल्क प्रवेश देना तथा खेल के लिये भी इस अवधि में निःशुल्क कोच की व्यस्था रखेगा । इस हेतु परिसर के गेट पर इस आशय का सूचना बोर्ड स्वयं की व्यय से लगाएगा ।

10. स्पोटर्स काम्पलेक्स परिसर में किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित या गैर कानूनी कार्य नहीं किया जावेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो समस्त जवाबदारी एजेसी की होगी। न्यायालयीन वाद /पुलिस कार्यवाही के लिऐ एजेंसी स्वयं जवाबदार होगी ।

11. कार्य की अनुमति प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर एवं उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष के समाप्ति के 03 माह पूर्व समस्त परिसम्पत्ति की रंगाई–पुताई के कार्य निःशुल्क करेगा।

12. परिसर के लिये जो एजेंसी अधिकतम किराया राशि नगर पालिक निगम को प्रदान करेगा उसी एजेसी को संचालन का दायित्व दिया जावेगा ।

13. आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई को यह अधिकार होगा कि प्रथम वर्ष के कार्य की गुणवत्ता को देखते हएु आगामी वर्ष के लिये निरंतरता बनाये रखने कार्यादेश जारी किया जावेगा इस प्रकार कुल 2 बार बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए कार्य होगा ।

14. स्टेडियम के अन्दर खिलाडियों से संबंधित स्वास्थ्यवर्धक खाने–पीने की व्यवस्था के लिये स्टॉल लगाने की अनुमति स्वच्छता बनाये रखने की शर्तो पर रहेगी ।

15. निगम/शासन/केन्द्रशासन के किसी भी विभाग द्वारा खेल कार्य के लिए कोई भी अनुज्ञा की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था अनुबंधित एजेंसी अपनी व्यय से करेगी। साथ–साथ ही समस्त प्रकार का शुक्ल, जो भी देय होगा उसे भी अनुबंधित एजेंसी निर्धारित समयावधि में भुगतान करेगी।

16. किसी प्रकार की विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

जोन आयुक्त
जोन–3
नगर पालिक निगम
भिलाई